गिग वर्कर्स के बीमा पर काम

अहोना मुखर्जी
नई दिल्ली, 13 मार्च

श्रम और रोजगार मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधानों के तहत गिग वर्कर्स के लिए दुर्घटना और जीवन बीमा कवरेज देने के लिए एक नई योजना का मसौदा तैयार कर रहा है। योजना से जुड़े 3 सूत्रों ने यह जानकारी दी।

इस योजना में सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए नियम तय किए जाने की संभावना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय इस योजना के हिस्से के तौर पर पेंशन सुरक्षा को भी शामिल करने पर विचार कर रहा है।

खबर प्रकाशित होने को जाने तक श्रम मंत्रालय को भेजे गए एक ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला।

सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के मुताबिक 2025-26 में भारत में अनुमानित 1.43 करोड़ गिग वर्कर्स होंगे। 2030 तक यह संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश करने और उनकी देखरेख के लिए एक 'राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' बनाने का प्रावधान है। इस संहिता के मसौदा नियमों में एक 'सामाजिक सुरक्षा कोष' बनाने का भी प्रस्ताव है, जो राइड-सेवा और फूड-डिलिवरी जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनियों के योगदान से ऐसी योजनाओं के धन मुहैया कराएगा।

मसौदा नियमों के तहत एग्रीगेटर अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2 प्रतिशत इस कोष में योगदान देंगे, जिसकी ऊपरी सीमा गिग वर्कर्स को दिए जाने वाले कुल भुगतान का 5 प्रतिशत होगी।

नवंबर 2025 में श्रम संहिता लागू होने के बहुत पहले ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में इस तरह की योजना पर चर्चा शुरू हो गई थी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि अक्टूबर 2025 में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक के दौरान सदस्यों को सूचित किया गया था कि प्रस्तावित ईपीएफओ 3.0 फ्रेमवर्क के तहत गिग वर्कर्स की योजना के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं।

इस संहिता के लिए मसौदा नियमों में गिग वर्कर्स के लिए पात्रता की शर्तों का भी प्रस्ताव है।

जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)
पंजीकृत कार्यालय : स्टर्लिंग सेंटर, 401–407, चतुर्थ तल, डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल के सामने, अंधेरी कुर्ला रोड, चकला, अंधेरी ईस्ट, मुंबई–400093 सीआईएन : L99999MH1992PLC066213
(माननीय एनसीएलटी के आदेश दिनांकित 26 नवंबर 2024 के अनुसार परिसमापन के अधीन एक कम्पनी)

ई–नीलामी हेतु सार्वजनिक घोषणा
दिवालियापन एवं दिवालिया संहिता, 2016 और विनियम

अधोहस्ताक्षरी द्वारा आम जनता को ई–नीलामी की सूचना दी जाती है, जिसमें **जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड** (परिसमापन में) **("कॉर्पोरेट देनदार")** के स्वामित्व वाली 9 परिसंपत्ति समूहों (नीचे दी गई तालिका में वर्णित) की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, जो कॉर्पोरेट देनदार की परिसमापन संपत्ति का हिस्सा हैं। यह नीलामी दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 **("आईबीसी")** के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार, 'जैसा है, जहां है', 'जैसा है, जैसा है', 'जो कुछ भी है', 'बिना किसी सहारा के' आधार पर और बिना किसी प्रतिनिधित्व, वारंटी या क्षतिपूर्ति के की जा रही है।
यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई–नीलामी प्लेटफॉर्म **BAANKNET** (पूर्व में eBKray) के माध्यम से **https://ibbi.baanknet.com** ("ई–नीलामी प्लेटफॉर्म") पर, अन्य बातों के अलावा, IBBI (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32 और 14 मार्च, 2026 के परिसंपत्ति बिक्री प्रक्रिया ज्ञापन **("ASPM")** के अनुसार की जाएगी।

ई–नीलामी के लिए महत्वपूर्ण तिथियों की अनुसूची

पात्रता दस्तावेज और धारा 29ए वचनपत्र जमा करने हेतु अंतिम तिथि	**अप्रैल, 13, 2026 सांय 5:00 बजे**
धरोहर राशि ("ईएमडी") जमा करने हेतु अंतिम तिथि और समय	**अप्रैल, 13, 2026 सांयं 6:00 बजे**
ई–नीलामी की तिथि और समय	**16 अप्रैल, 2026 प्रातः 09.00 बजे से सांय 08.00 बजे**
अंतिम बिक्री प्रतिफल के भुगतान हेतु अंतिम तिथि	अधोहस्ताक्षरी द्वारा अंतिम बिक्री प्रतिफल के भुगतान के लिए मांग पत्र जारी करने के साठ (60) दिन के भीतर

क्र. सं.	संपत्ति विवरण	संपत्ति आईडी	आरक्षित मूल्य* (रुपये में)	बयाना राशि जमा (रुपये में)	वृद्धिशील मूल्य (रुपये में)
1	ग्राउंड सपोर्ट उपकरण – ग्राउंड पावर यूनिट, एयर कंडीशनिंग यूनिट, हाइड्रोलिक जैक संपत्ति आईडी : 3804	3084	1,30,21,900	13,02,190	6,50,000
2	ग्राउंड सपोर्ट उपकरण – बैगेज ट्रॉलियां, कार्गो ट्रॉलियां संपत्ति आईडी: 3805	3085	8,45,625	84,562	40,000
3	ग्राउंड सपोर्ट वाहन – महिंद्रा बोलेरो, मारुति ईको और मारुति वैन संपत्ति आईडी: 3806	3086	41,47,225	4,14,722	2,00,000
4	ग्राउंड सपोर्ट उपकरण – टोयोटा टोइंग ट्रैक्टर और फोर्कलिफ्ट संपत्ति आईडी: 3808	3087	1,22,90,400	12,29,040	6,00,000
5	ग्राउंड सपोर्ट उपकरण – टी 135 इलेक्ट्रिकल टोइंग ट्रैक्टर संपत्ति आईडी: 3809	3088	1,30,94,875	13,09,487	6,50,000
6	ग्राउंड सपोर्ट उपकरण – बैगेज ट्रॉलियां, कार्गो ट्रॉलियां संपत्ति आईडी: 3810	3089	38,45,325	3,84,532	1,50,000
7	ग्राउंड सपोर्ट उपकरण – फायर एक्सटिंग्विशर और ट्रॉलियां संपत्ति आईडी: 3811	3090	67,515	6,751	3,000
8	ग्राउंड सपोर्ट उपकरण – वाइकिंग ट्रॉलियां, व्हील रैक ट्रॉलियां संपत्ति आईडी: 3812	3091	2,67,425	26,742	13,000
9	ग्राउंड सपोर्ट उपकरण – टोयोटा टो टग संपत्ति आईडी: 3813	3092	17,38,875	1,73,887	85,000

स्थानः जेट एयरवेज हैंगर, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली – 110037

'इसमें कर, शुल्क, प्रभार, हस्तांतरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, प्रीमियम और बिक्री को पूरा करने के लिए लागू सभी आवश्यक व्यय शामिल नहीं हैं। हस्ताक्षरकर्ता द्वारा कोई भी प्रतिनिधित्व, वारंटी या क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

महत्वपूर्ण टिप्पणियाँः

1. ई–नीलामी ऊपर सूचीबद्ध 9 परिसंपत्ति समूहों के लिए अलग–अलग ई–नीलामी प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाएगी।
2. इस बिक्री सूचना को संबंधित एएसपीएम के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें परिसंपत्तियों का विवरण, घोषणाएं, शपथ पत्र और आईबीसी की धारा 29ए के तहत पात्रता के लिए वचनबद्धताएं, और बैंकनेट पर उपलब्ध 'ई–नीलामी बिक्री के सामान्य और तकनीकी नियम एवं शर्तें' शामिल हैं।
3. इच्छुक बोलीदाताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवश्यक पात्रता दस्तावेज और ईएमडी जमा करना होगा।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को यह वचन देना होगा कि वे आईबीसी की धारा 29ए के तहत किसी भी प्रकार से अपात्र नहीं हैं और यदि वे किसी भी स्तर पर अपात्र पाए जाते हैं, तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
5. ई–नीलामी से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया परिसमापक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री श्लोक नंदनपवार (91–8208503693) से **jetliquidation@in.ey.com** और **liquidation.jet@gmail.com** पर संपर्क करें। ईमेल का विषय ''जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेडः संपत्ति बिक्री जीएसई – दिल्ली'' होना चाहिए।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह सूचना अधोहस्ताक्षरी या जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (परिसमापन में) पर बिक्री को प्रभावी बनाने के लिए किसी भी प्रकार का बाध्यकारी दायित्व नहीं डालती है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अंतिम होगा और सभी संभावित बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ तथा ASPM में दर्शाई गई परिसंपत्तियों का विवरण केवल सामान्य संदर्भ के उद्देश्य से ही प्रदान किया गया है। ASPM में परिभाषित प्रतिपूर्ति प्राप्त पक्ष (Indemnified Parties) किसी भी प्रकार की कमी/अशुद्धता/विसंगति/गलत कथन/चूक/परिवर्तन/अभाव या किसी भी प्रकार की त्रुटिकृचाहे वह परिसंपत्तियों के विवरण, मात्रात्मक आकलन या स्थिति से संबंधित होकृके लिए, चाहे वह इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट से उत्पन्न हुई हो या अन्यथा, तथा चाहे ऐसी विसंगति ई–नीलामी की पूर्णता से पहले, दौरान या बाद में सामने आए, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या दायित्व से स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं और उनके ऊपर कोई दायित्व नहीं होगा। परिसंपत्तियों की बिक्री पूर्णतः "जहाँ है जैसे है", "जैसा है वैसा है", "जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में" तथा "बिना किसी प्रत्यावर्तन (without recourse)" के आधार पर की जाती है और प्रतिपूर्ति प्राप्त पक्षों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिर्देशन, वारंटी या क्षतिपूर्ति (जिसमें परिसंपत्तियों की मात्रा, स्थिति या गुणवत्ता से संबंधित कोई भी आश्वासन शामिल है) प्रदान नहीं की जाती। ई–नीलामी में भाग लेकर, प्रत्येक संभावित बोलीदाता यह स्वीकार करता है कि वह स्वयं अपने स्वतंत्र यथोचित परिश्रम के लिए पूर्णतः जिम्मेदार है, जिसमें परिसंपत्तियों का भौतिक निरीक्षण और सत्यापन सहित, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, शामिल हैय तथा वह परिसंपत्तियों की मात्रा, विवरण या स्थिति में किसी भी प्रकार की विसंगति, अभाव, त्रुटि या कमी के संबंध में, अथवा इसके परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी प्रकार की हानि, नुकसान, लागत या व्ययकृचाहे वह पूर्वानुमेय हो या न होने के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त पक्षों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई दावा, मांग, कार्रवाई या उपाय नहीं करेगा और ऐसे सभी दावों का परित्याग करता है।
8. सभी संभावित बोलीदाता स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि उनकी बोलियाँ केवल उनके द्वारा किए गए उचित परिश्रम के आधार पर प्रस्तुत की जाएंगी, न कि संबंधित ASPM में दी गई जानकारी पर निर्भर होकर। संभावित बोलीदाता संबंधित ASPM के तहत आयोजित की जा रही ई–नीलामी के संबंध में इस आधार पर किसी भी अधिकार/दावे और/या बचाव को स्पष्ट रूप से त्याग देते हैं कि उनकी बोलियाँ इसमें दी गई जानकारी के आधार पर प्रस्तुत की गई थीं।
9. परिसमापक अपने विवेकाधिकार पर संबंधित ASPM की शर्तों में संशोधन/परिवर्तन करने और बिक्री प्रक्रिया की समयसीमा में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें ई–नीलामी की तिथियां भी शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। परिसमापक, SCC की सलाह के अनुसार, लागू कानूनों के तहत अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में ई–नीलामी को रद्द/समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

हस्ता./– सतीश कुमार गुप्ता
जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड के परिसमापक
IP Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P00023/2016-17/10056
एएफए नंबर – AA1/10056/02/311226/108454
एएफए वैधता : 31 दिसम्बर, 2026 तक
पत्राचार के लिए पता : 401–407, स्टर्लिंग सेंटर, चौथा तल, अंधेरी कुर्ला रोड, चकाला अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093
ईमेल – **liquidation.jet@gmail.com**

दिनांकः 14.03.2026
स्थानः मुंबई

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd
कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई - 400069.
बिजनोर शाखा: दूसरी मंजिल, ए-16, बीएलडीजी नाम - एसआर - एडिफिस इस्लामपुर डीप सिसिल लाइन, नेहरूस्टेडियम के सामने (टारनटाल) बिजनोर, उत्तर प्रदेश पिनकोड -246701

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्र.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
1	(लोन कोड नं. 13700000244/ बिजनौर शाखा) मकबूल (ऋणी), आसमा (सह-ऋणी), काजिम अहमद (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, भूमि का प्लॉट ग्राम फतेहपुर नोआबाद, चक्कर रोड, परगना तहसील एवं जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश 246701 क्षेत्रफल143.59 वर्ग गज **चर्तुसीमाएँ:–** पूर्व- 34 फीट/चक्कर रोड, पश्चिम- 31 फीट 9 इंच/ विक्रेता की संपत्ति, उत्तर - 45 फीट 6 इंच/ विक्रेता की संपत्ति, दक्षिण - 48 फीट 6 इंच/ रास्ता 15 फीट चौड़ा	**07-10-2024 & ₹ 1,84,235/-**	**12-03-2026**

स्थान : उत्तर प्रदेश
दिनांक : 14.03.2026
प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ईरान से लगातार संपर्क में भारत

अर्चिस मोहन
नई दिल्ली, 13 मार्च

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह भारतीय ध्वज वाले पोतों की होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही पक्की करने के लिए लगातार ईरान के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। इससे देश में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलपीजी) आपूर्ति की किल्लत कम हो सकेगी। सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्रालय और नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने महत्त्वपूर्ण सफलता की संभावना जताई थी।

भारत के क्षेत्र में फंसे 28 वाणिज्यिक पोतों में से एक जयप्रकाश पेट्रोल लेकर किसी अफ्रीकी देश के पास जा रहा था। उसे क्षेत्र से गुजरने की अनुमति मिल गई। नई दिल्ली में अलकुद्स दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान ईरान के भारत में राजदूत मोहम्मद फतेली ने कहा कि उनकी सरकार के भारत सरकार के साथ अच्छे संबंध हैं। उन्होंने संकेत दिया कि दोनों पक्षों के शीर्ष अधिकारियों के बीच नियमित बातचीत जारी है। उन्होंने बताया कि भारत के ध्वज वाहक मालवाहक पोतों के होर्मुज स्ट्रेट को ईरान से अनुमति देने के मुद्दे पर 'अच्छी खबर' के लिए प्रयास किए गए हैं। फतेली ने भारत के ध्वजों को ईरान के सुरक्षित रास्ता देने के मुद्दे पर कहा, 'हां, हमारा दोस्त भारत है। आपको दो-तीन घंटों में देखने को मिल जाएगा। हमारा विश्वास है कि इस क्षेत्र में भारत और ईरान के साझा हित हैं।' फतेली ने कहा, 'यह हमारा दुख है। इसलिए भारत सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए और हमें भारत सरकार की मदद करनी चाहिए। दरअसल, हमारी आस्था और हित एक जैसे हैं।'

नई दिल्ली में अल-कुद्स दिवस के अवसर पर ईरान के कई समर्थक एकत्रित हुए। उनके हाथ में ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की तस्वीरें थीं। अल-कुद्स दिवस रमजान के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है। ईरान ने 1979 से अल कुद्स दिवस मनाना शुरू किया है। यह दिवस फिलिस्तीन के साथ एकजुटता व्यक्त के लिए मनाया जाता है।

इजरायल-विरोधी अलकुद्स दिवस रैली के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई व उनके दिवंगत पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की तस्वीरें हाथों में लिए प्रदर्शनकारी -एपी/पीटीआई

भारत को होर्मुज स्ट्रेट से कम से कम 60 प्रतिशत एलपीजी और 30 प्रतिशत कच्चे तेल की आपूर्ति होती है। भारत के 28 मालवाहक पोत इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं। होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में फंसे चार इन पोतों में से एक जय प्रकाश अपने गंतव्य तक पहुंच गया। यह पोत अफ्रीकी देश को पेट्रोल लेकर जा रहा था।

भारत होर्मुज स्ट्रेट के दोनों ओर फंसे हुए शेष 27 व्यापारिक पोतों के लिए सुरक्षित मार्ग तय करना चाहता है। इनमें से 24 इस महत्त्वपूर्ण जलमार्ग के पश्चिमी समुद्री मार्ग पर है। इन 27 जहाजों पर कुल 677 नाविक हैं। इस क्षेत्र में कुल मिलाकर 23,000 भारतीय नाविक मौजूद हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से गुरुवार शाम को टेलीफोन पर बातचीत की। यह उनकी शीर्ष ईरानी नेतृत्व के साथ पहली बातचीत थी। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 28 फरवरी के बाद अपने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से चौथी बार बातचीत की। अमेरिका और इजरायल के हमले में अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद जयशंकर और अराघची ने 28 फरवरी को बातचीत की थी।

उन्होंने 5 मार्च और 10 मार्च को भी बातचीत की थी। जयशंकर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने गुरुवार रात को भी अराघची से द्विपक्षीय सहित ब्रिक्स से जुड़े.मुद्दों पर बातचीत की थी। दरअसल, ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ संघर्ष बढ़ने से होर्मुज स्ट्रेट को आंशिक रूप से बाधित कर दिया था।

ईरान की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अराघची ने अपने भारतीय समकक्ष को अमेरिका और इजरायल के ईरान के विरुद्ध छेड़े गए 'आक्रमणों और अपराधों' की नवीनतम स्थिति की जानकारी दी। इसके अलावा इसके क्षेत्र और विश्व की स्थिरता व सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताया। अराघची ने इस बात पर जोर दिया कि आत्मरक्षा के वैध अधिकार का प्रयोग करने का ईरान का संकल्प दृढ़ है।

कई देशों से बेहतर रहेगा भारत का प्रदर्शनः सीईए

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 13 मार्च

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि अगर ईरान संकट लंबे समय तक चलता है तो भारत की वृद्धि दर, महंगाई और चालू खाते के घाटे पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि वृहद आर्थिक स्थिरता को देखते हुए उम्मीद है कि भारत का प्रदर्शन कई देशों से बेहतर रहेगा।

गुरुवार को जारी केयरएज रेटिंग के साथ हुए साक्षात्कार में सीईए ने कहा, 'भले ही हम अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हों और महंगाई और वृद्धि पर कुछ बुरा असर पड़ रहा हो, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह टकराव कितने समय तक चलता है। मुझे लगता है कि तुलनात्मक रूप से हम कई देशों से बेहतर स्थिति में होंगे। इसका श्रेय उस कड़ी मेहनत को जाता है जो हमने कोविड से पहले और बाद में की है।' उन्होंने कहा कि यह जानना भी उतना ही जरूरी सवाल है कि यह संकट कैसे खत्म होगा। क्या दोनों पक्ष अपनी मर्जी से टकराव खत्म करेंगे या कोई एक पक्ष थकान या कमजोरी के कारण पीछे हटेगा। जीतने वाला पक्ष प्रभावशाली महसूस करेगा और इसलिए अपनी शर्तें थोपता रहेगा।

कम समय के टकराव का नहीं पड़ेगा व्यापक असर

अंजलि कुमारी
मुंबई, 13 मार्च

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर पश्चिम एशिया में टकराव कम समय तक रहता है तो भारत के वृहद आर्थिक तस्वीर पर केवल सीमित असर पड़ने की संभावना है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अपनी लंबे समय तक नीतिगत दरें कम रखने की नीति पर कायम रहेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो जोखिम पैदा हो सकते हैं।

पिछले महीने जब इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा तो कच्चे तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं, हालांकि बाद में घटकर 100 डॉलर प्रति बैरल पर आ गईं। युद्ध शुरू होने से पहले कीमतें 75 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे थीं।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अर्थशास्त्रियों ने एक नोट में कहा, 'हमारे विचार से पश्चिम एशिया में कम अवधि तक चलने वाले युद्ध का भारत की व्यापक अर्थव्यवस्था पर बहुत कम असर पड़ने की संभावना है।'

ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी है, जिसका मकसद तेल व गैस की आवाजाही बाधित करना है। सऊदी अरब, यूएई, इराक, कतर और कुवैत से भारत को होने वाला आयात हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है। यह भारत के कुल तेल आयात का 46 प्रतिशत और कुल एलएनजी आयात का 54 प्रतिशत है।

बार्कलेज ने कहा है, 'ऊर्जा की मौजूदा कीमतों का महंगाई पर सीमित असर पड़ने की संभावना है। ऐसे में मौद्रिक नीति में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। हमारा मानना है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति 2026 में यथास्थिति बरकरार रखेगी।'

हालांकि अर्थशास्त्रियों ने आगाह किया कि अगर तेल की कीमतें 90 से 110 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में लगातार बनी रहती हैं, तो भारत को दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अनुमान है कि अगर तेल की कीमतें 90से 110 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में रहती हैं, तो भारत का चालू खाते का घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 2.5 प्रतिशत हो सकता है, जो मौजूदा अनुमानों का लगभग 2.5 गुना है। हालांकि अगर कच्चे तेल की कीमतें मौजूदा स्तरों (लगभग 100 डॉलर प्रति बैरल) से नीचे आती हैं और 2026 की चौथी तिमाही तक संघर्ष के पहले के स्तर पर लौट आती हैं, तो इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव मामूली ही रहेगा।

सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर बने रहने के लिए विवेकाधीन व्यय और पूंजीगत आवंटन कम कर सकती है। कम उत्पाद शुल्क संग्रह के अलावा ईंधन और उर्वरक सब्सिडी पर अधिक व्यय व सरकारी कंपनियों से कम लाभांश आय का भी असर पड़ सकता है।

येस बैंक ने एक नोट में कहा, 'घरेलू महंगाई पर असर इस बात पर निर्भर है कि संघर्ष कितने समय तक चलता है और सरकार कितने समय तक पेट्रोल व डीजल की कीमतें रोके रख सकती है।

रणनीतिक तेल भंडार से सीमित हल

सुधीर पाल सिंह
नई दिल्ली, 13 मार्च

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा सबसे बड़े तेल भंडार के वितरण की योजना से तेल बाजार को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन एसऐंडपी ग्लोबल एनर्जी का कहना है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद रहता है तो यह सीमित समाधान साबित होगा।

रिसर्च फर्म ने एक रिपोर्ट में कहा, '40 करोड़ बैरल तेल जारी करने की योजना (जिसमें से 17.2 करोड़ बैरल अमेरिका से आएगा) से बाजार को मौजूदा असंतुलन से तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। हालांकि यह देखना अभी बाकी है कि इससे खासकर एशियाई बाजारों को कैसे मदद पहुंचेगी, जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है।' मार्च महीने में वैश्विक आपूर्ति में आई 43 करोड़ बैरल की कमी की भरपाई में ही 40 करोड़ बैरल तेल को कई महीने लग जाएंगे।

एसऐंडपी ग्लोबल एनर्जी के वाइस प्रेसीडेंट और क्रूड ऑयल रिसर्च के ग्लोबल हेड जिम बर्कहार्ड ने कहा, 'बहुत ज्यादा तेल ऐसा है जिसे होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते निर्यात नहीं किया जा सकता। एशिया में तेल की कमी है जहां भंडार तेज़ी से घट रहे हैं। बाजार गंभीर रूप से असंतुलित है, और यह तब तक बना रहेगा जब तक स्ट्रेट फिर से खुल नहीं जाता और अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम परिचालन सामान्य नहीं हो जाते। ऐसा जल्दी नहीं होगा।'

1 मार्च से 11 मार्च के बीच बाजार में उपलब्ध कच्चे तेल और रिफाइंड उत्पादों की आपूर्ति में हुई 1.7 करोड़ बैरल प्रति दिन की कमी, इतिहास में तेल आपूर्ति में हुई अब तक की सबसे बड़ी बाधा है। कोई भी अन्य ऐतिहासिक घटना इसके आस-पास भी नहीं ठहरती।

रिपोर्ट में कहा गया, 'एसऐंडपी ग्लोबल का अनुमान है कि मार्च के पहले 11 दिनों में होर्मुज स्ट्रेट की उपेक्षा कर अन्य रास्तों से लगभग 30 से 40 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का निर्यात किया गया। इसके विपरीत युद्ध शुरू होने से पहले होर्मुज स्ट्रेट से होकर 210 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का निर्यात होता था।'

उर्वरक क्षेत्र में सुधार करे भारत

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 13 मार्च

भारत को पश्चिम एशिया में जारी मौजूदा संकट के दौर में उर्वरक क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित नीतिगत सुधार करना चाहिए। भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (इक्रियर) के शोधपत्र, 'बढ़ते भूराजनीतिक जोखिमों के बीच भारत के लिए उर्वरक आपूर्ति को जोखिममुक्त करने' के अनुसार भारत पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के दौर में नीतिगत सुधार करे। इन सुधारों में किसानों को सीधे उर्वरक सब्सिडी का हस्तांतरण और मैक्रो पोषक तत्त्वों के मूल्य से धीरे धीरे विनियमन हटाना आदि शामिल हैं। इससे न केवल संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राजकोषीय दबाव भी कम होगा। साथ ही लगभग 20 प्रतिशत तक होने वाले अनुमानित नुकसान को भी रोका जा सकेगा।

यह शोधपत्र आज जारी किया गया। उपयुक्त सुधार बहुत साहसिक प्रतीत होते हैं तो अल्पकाल में विकल्प यह होगा कि खेत के आकार, फसल पैटर्न और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के जारी अनुशंसित पोषक तत्त्वों की मात्रा के आधार पर बिक्री पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाए। शोध पत्र में कहा गया है, 'यह एग्रीस्टैक की सहायता से किया जा सकता है। इस पर सरकार लंबे समय से काम कर रही है।' रितिका जुनेजा, सच्चिदा नंद, एमिल थॉमस जॉनी और अशोक गुलाटी ने इस शोधपत्र को लिखा है।

आत्मनिर्भरता के लिए उठे कदम

केंद्रीय उर्वरक मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज संसद में लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इसके तहत राष्ट्रीय निवेश नीति 2012 के तहत छह नई यूरिया इकाइयों की स्थापना (चार नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम में और दो निजी क्षेत्र में) और अप्रैल, 2010 से लागू पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था शामिल हैं।

सिटी गैस की रोजाना बिक्री पर 10% असर

सुधीर पाल सिंह
नई दिल्ली, 13 मार्च

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने आज कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कमी आने से भारत में शहरी गैस वितरण (सीजीडी) उद्योग की दैनिक बिक्री मात्रा में 8-10 प्रतिशत की गिरावट भी आ सकती है, जब तक कि निकट भविष्य में स्थिति स्थिर नहीं हो जाती।

सीजीडी कंपनियां बढ़े हुए दामों का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं। इससे उनकी लाभप्रदता व नकदी में सुधार होगा और मजबूत प्रायोजकों का समर्थन सीजीडी कंपनियों की साख को भी बनाए रखेगा। हालांकि पश्चिम एशिया में लंबे समय तक बनी रहने वाली अनिश्चितता पर नजर रखनी ही होगी। सीजीडी उद्योग अपनी 60 प्रतिशत आवश्यकता के लिए घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस पर निर्भर है जबकि शेष 40 प्रतिशत आयात पर आश्रित है।

बीएस सूडोकू 5537

2			9				6	
		3			4		8	
		6	5	7				
	4		2		9	6		
	2		3		6			
	1			8				
				9	7			
						5	1	
		1					4	

परिणाम संख्या 5536

9	6	1	8	4	7	5	2	3
4	2	8	3	9	5	7	6	1
3	7	5	6	1	2	9	8	4
5	8	4	9	6	3	1	7	2
6	9	2	1	7	4	8	3	5
1	3	7	2	5	8	4	9	6
2	1	3	4	8	9	6	5	7
7	4	9	5	2	6	3	1	8
8	5	6	7	3	1	2	4	9

कैसे खेलें ? **मध्यम**
हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरें।
★★★☆☆

डिस्क्लेमर.. बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिजनेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मै. बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।